न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर ([redacted])

मुरली बनाम बीरबल रैगर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर अङ्क हुक्म के
	दावा मु.नं. — 111/2024	
28.4.25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में हैं। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 5.5.25 को पेश हो।	
05.05.2025	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 16.05.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)	
16.05.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण मे बहस पूर्व में सुनी जा चूकी है। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार किया जाता है। प्रकरण मे मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जांकर शामिल पत्रावली किया गया। इसी अनुसार पर्चा डिक्री ... हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (अनिल कुमार) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:03:07 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार **(RAS)**

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
111 / 2024	2024 / 228	23.07.2024	16.05.2025

उनवान प्रकरण

1. मुरली पुत्र गंगल्या आयु 95 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम लीला की ढाणी (थोई) तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राजस्थान

—वादी—

बनाम्

1. बिरबलसिंह पुत्र स्व. नाथू आयु 56 वर्ष
2. रामस्वरूप पुत्र स्व. नाथू आयु 49 वर्ष
3. दयाराम पुत्र स्व. नाथू आयु 36 वर्ष
4. संतरा देवी पुत्र स्व. नाथू आयु 58 वर्ष
5. मन्नी देवी पुत्री स्व. नाथू आयु 54 वर्ष
6. भगली देवी पत्नी स्व. नाथू आयु 80 वर्ष

   समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम लीला की ढाणी (थोई) तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राजस्थान

7. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
8. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीकाथाना

—प्रतिवादीगण—

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:03:07 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित :–

श्री सरदार सिंह–प्रथम, एड0 वादी अभिभाषक।

श्री सांवर महला, एड0 प्रतिवादी संख्या 1 [illegible] 6 की ओर से अभिभाषक।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या–7 की ओर से।

दावा बाबत उद्घोषणा स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1379, 1381, 1695, 1795, 1796, 1800 कुल किता–6 कुल रकबा 7.85 हैक्टर राजस्व ग्राम लीला की ढाणी पटवार हल्का थोई तहसील श्रीमाधोपुर में अवस्थित है। जिसके 2/3 हिस्सा की खातेदारी वादी व प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 6 के मृतक पिता/पति स्व0 नाथू पुत्र गंगल्या व मृतक भाई रूडा पुत्र गंगल्या के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। भूमि खसरा नम्बर 1748, 1749, 1794 कुल किता–3 कुल रकबा 0.08 हैक्टर राजस्व ग्राम लीला की ढाणी पटवार हल्का थोई तहसील श्रीमाधोपुरी में अवस्थित है, जिसके 1/2 हिस्सा की खातेदारी वादी व प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 6 के मृतक पिता/पति स्व. नाथू पु गंगल्या व मृतक रूडा पुत्र गंगल्या के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। भूमि खसरा नम्बर 1380 रकबा 0.02 हैक्टर राजस्व ग्राम लीला की ढाणी पटवार हल्का थोई तहसील श्रीमाधोपुर में अवस्थित ह। जिसके 1/3 हिस्से की खातेदारी वादी व प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 6 के मृतक पिता/पति स्व. नाथू पुत्र गंगल्या व मृतक रूडा पुत्र गंगल्या के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। भूमि खसरा नम्बर 1843 से 1848, 1850 कुल किता–7 कुल रकबा 1.48 हैक्टर राजस्व ग्राम [illegible] हल्का थोई तहसील श्रीमाधोपुर अवस्थित है। जिसके 2/3 हिस्से की खातेदारी वादी व प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 6 के मृतक पिता/पति नाथू पुत्र गंगल्या व मृतक रूडा पुत्र गंगल्या के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमियां वादी व प्रतिवादीगण की पैतृक कृषि भूमियां है। उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:03:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

वर्णित हिस्से की भूमिया वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक भूमिया है जिनके सजरा खानदान के अनुसार वाद मे पक्षकार बनाया गया है वादी व प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 6 का भाई / ताउ / देवर रूडा पुत्र गंगल्या व उसकी पत्नी ननची देवी पत्नी रूडा नाऔलाद फौत हो चुके है जिनके वारिस सजरा खानदान अनुसार पक्षकार है तथा प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 6 के पिता नाथू पुत्र गंगल्या भी फौत हो चुके हैं जिनके वारिसान प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 6 है जो वाद में पक्षकार बनाये गये हैं तथा उक्त वर्णित हिस्से की भूमियां ही पक्षकार की वादग्रस्त भूमियां है। उक्त वर्णित वादग्रस्त हिस्से की भूमियां मे वादी का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 6 के मृतक पिता / पति स्व0 नाथू पुत्र गंगल्या का 1/3 हिस्सा तथा वादी के मृतक भाई रूडा पुत्र गंगल्या का 1/3 हिस्सा अर्थात वादग्रस्त हिस्से की भूमियों में गंगलया के तीनो पुत्रों का 1/3, 1/3, 1/3 हिस्सा था किन्तु वादी के मृत्तक भाई रूडा पुत्र गंगल्या नाऔलाद था इसलिए मृत्तक रूडा पुत्र गंगल्या ने उक्त वर्णित भूमियों में अपने नाम दर्ज हिस्सा की भूमियो में से 1/5 हिस्स की भूमियों वादी को व शेष 4/5 हिस्सा की भूमिया प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 6 के मृत्तक पिता / पति नाथू पुत्र गंगल्या को दे दी थी। जिसके अनुसार मौके पर वादी व प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 6 का मृत्तक पिता / पति नाथू पुत्र गंगल्या अपने –अपने हिस्से की भूमियों में शामिल कर मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त वर्णित भूमियां में मृत्तक रूडा पुत्र गंगल्या के नाम दर्ज खातेदारी की भूमियों में 1/5 हिस्सा की भूमियों की खातेदारी वादी व 4/5 हिस्सा की भूमिया प्रतिवादी नम्बर 1 ता 6 को उनके नाम दर्ज कराने बाबत कहा गया तो पहले तो प्रतिवादीगण हां करते रहे व समय निकालते रहे परन्तु अब दिनांक 10.06.2024 को जोर देकर उक्तानुसार खातेदारी दर्ज कराने बाबत कहा गया तो प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 6 स्पष्ट इंकार हो गये तथा धमकी दी कि मृत्तक रूडा पुत्र गंगल्या के नाम दर्ज वादग्रस्त हिस्से की भूमियों की खातेदारी हक अपने अकेले के नाम कराकर भूमियां दीगर लोगो को बेचान कर भूमियों को रहन व्यय मुंतकिल कर आप वादी को जोर जबरन बेदखल करके रहेंगे अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न रूपेण डिक्री फरमाया जावे कि भूमि खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:03:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

1379, 1381, 1695, 1795, 1796, 1800 कुल किता–6 कुल रकबा 7.85 हैक्टर व भूमि खसरा नम्बर 1843 से 1848, 1850 कुल किता–7 कुल रकबा 1.48 हैक्टर राजस्व ग्राम थोई पटवार हल्का थोई मे वादी व मृत्तक नाथू, रूडा पुत्रगण गंगल्या के नाम दर्ज 2/3 हिस्सा के बजाय वादी को 4/15 हिस्से का व प्रतिवादी नम्बर 1 ता 6 को 2/5 हिस्से का बहिस्सा बराबर व भूमि खसरा नम्बर 1748, 1749, 1794 कुल किता–3 कुल रकबा 0.08 हैक्टर राजस्व ग्राम लीला की ढाणी पटवार हल्का थोई वादी व नाथू, रूडा पुत्रगण गंगल्या के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा के बजाय वादी को 1/5 हिस्से का व प्रतिवादी नम्बर 1 ता 6 को 3/10 हिस्से का बहिस्सा बराबर व भूमि खसरा नम्बर 1380 रकबा 0.02 हैक्टर राजस्व ग्राम लीला की ढाणी वादी व मृत्तक नाथू, रूडा, पुत्रगण गंगल्या के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा के बजाय वादी को 2/15 हिस्से का व प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 6 को 3/15 हिस्से का बहिस्सा बराबर काबिज खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर इसमें दर्ज मृत्तक नाथू, रूडा पुत्रगण गंगल्या का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ फरमाया जावे तथा जिस पक्षकारान का पूर्व का रहन है उस पक्षकार के हिस्से में आयी भूमियों पर रहन दर्ज फरमाते हुये राजस्व रिकार्ड में इसी अनुसार अमल दरामद के आदेश फरमाया जावे। प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावे कि भूमि खसरा नम्बर 1379, 1381, 1675, 1795, 1796, 1800 कुल किता–6 कुल रकबा 7.85 हैक्टर राजस्व ग्राम लीला की ढाणी पटवार हल्का थोई एवं भूमि खसरा नम्बर 1748, 1749, 1794 कुल किता–3 कुल रकबा 0.08 हैक्टर राजस्व ग्राम लीला की ढाणी पटवार हल्का थाई एवं भूमि खसरा नम्बर 1380 रकबा 0.02 हैक्टर कुल किता–1 रकबा 0.02 हैक्टर ग्राम लीला की ढाणी पटवार हल्वा थोई एवं भूमि खसरा नम्बर 1843 से 1848, 1850 कुल किता–7 कुल रकबा 1.48 हैक्टर राजस्व ग्राम थोई पटवार हल्का थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में वादी के [illegible] एवं उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत [illegible] करावें, ना ही वादी को जारे जबरन बेदखल करे, ना जब[illegible]वाही करे, ना ही किसी अन्य से ऐसा करवाये, ना भूमियों को खुर्द–बुर्द करे तथा अपने नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:03:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उक्त भूमि का [illegible] किसी को किसी भी प्रकार से कोई अंतरण, विक्रय करे, ना ही किसी बैंक या वित्तीय संस्था में गिरवी एवं बन्धक रखकर ऋण प्राप्त करे, ना ही किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा लेवें, ना ही भूमियों को कुर्क या नीलाम करे, ना ही ऐसा कोई कृत्य करे या करावे जिससे वादी के मालिकाना हक हकूक पर कोई विपरीत असर पड़ता हो। प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जाने का निवेदन अपने वादपत्र में किया है। यह वाद वास्ते घोषणा, दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड एवं स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है।

इस पर वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किये जाने के आदेश दिये गये। जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की ओर से श्री सरदार सांवर महला एड0 ने उपस्थित होकर प्रतिवादीगण की ओर से राजीनामा किया। प्रतिवादी संख्या–7 व 8 की तामील जरिए रजिस्टर्ड डाक से करवाई गई, बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या–7 व 8 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। मृतक रूडा पुत्र गंगल्या के वारिसान की जांच तहसीलदार श्रीमाधोपुर से ली गई, जिससे तहसीलदार श्रीमाधोपुर से पत्रांक कमांक/भू.अ./2025/540 दिनांक 12.02.2025 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। उक्त वादपत्र में अंकित वादग्रस्त आराजी भूमियों के सम्बन्ध में पक्षकारान् के मध्य पूर्व में दिनांक 05.11.2024 को लिखे गये बंटवारा लेख के राजीनामें के अनुसार वादीगण के वादपत्र को डिक्री कर दिया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को कोई आपत्ति नहीं होना स्वीकार करते हुए पत्रावली की आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर अंकित कियें। वकील प्रतिवादीगण के द्वारा वादपत्र को बंटवारा लेख पक्षकारान् के मध्य आपस में पूर्व में हुए राजीनामा अनुसार सैद्धान्तिक सहमति बन जाने से प्रकरण को सीधे ही बहस में लिया गया।

प्रकरण में अन्य प्रतिवादी [illegible] के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने से तथा वादी [illegible] के मध्य में पूर्व में हुए राजीनामा दिनांक 05.11.2024 के अनुसार सहमति बन जाने से वकील वादी ने वादपत्र में बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर उपस्थित वकील

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:03:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

प्रतिवादीगणों ने अपनी–अपनी सहमति व्यक्त करते हुए प्रकरण का निस्तारण बरूए राजीनामा किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। वकुलाय उभय पक्षकारान् की सहमति के आधार पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से प्रकरण में पक्षकारान् के मध्य आपस में पूर्व में दिनांक 05.11.2024 को हुए राजीनामा पर सहमति बन जाने से वकील प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वादपत्र को स्वीकार कर लिये जाने से प्रकरण में सीधे ही निर्णय पारित किया जाना उचित समझते है।

हमनें वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहुपक्षीय बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादी व वकील प्रतिवादीगण द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 की तीन जमाबन्दीयॉ, वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आपस में पूर्व में दिनांक 05.11.2024 को हुए राजीनामा इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से वादग्रस्त कृषि भूमियों की खातेदारी पक्षकारान् के पूर्वजों के नाम हिस्से अनुसार दर्ज राजस्व रिकार्ड होना प्रकट होता हैं। उक्त भूमि पक्षकारान् की पैत्रृक कृषि भूमियॉ होना तथा वादीगण व प्रतिवादीगण पक्षकारान् के आपस में एक ही परिवार से होकर पक्षकारान् के मध्य आपस में वादग्रस्त भूमियों बाबत पारिवारिक समझौता अनुसार बंटवारा किया जाना प्रकट होता है। उक्त वादग्रस्त भूमियां पक्षकारान् के द्वारा अपने–अपने हिस्से पर हिस्सानुसार काबिज होकर काश्त करते चले आना भी प्रकट होता है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के द्वारा उपस्थित होकर वादी के पक्ष में राजीनामा प्रस्तुत कर वादपत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुए उसी अनुसार वादपत्र को बरूए राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन अपने द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में किया जाना प्रकट होता है। वादपत्र में अन्य पक्षकारान् के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो जाने तथा पक्षकारान् के मध्य आपस में राजीनामा हो जाने से वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में अंकित तथ्यों की [illegible] है। जिससे वादी का दावा प्रमाणित होने पर वादी द्वारा प्रस्तुत [illegible] स्थाई निषेधाज्ञा को न्यायहित में स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:08:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

:- क्रियात्मक आदेश :-

अतः उपरोक्त विश्लेषण के वादी द्वारा प्रस्तुत दावा बाबत उद्घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि भूमि खसरा नम्बर 1379, 1381, 1695, 1795, 1796, 1800 कुल किता–6 कुल रकबा 1.85 हैक्टर व भूमि खसरा नम्बर 1843 से 1848, 1850 कुल किता–7 कुल रकबा 1.48 हैक्टर राजस्व ग्राम थोई पटवार हल्का थोई में वादी व मृत्तक नाथू, रूडा पुत्रगण गंगल्या के नाम दर्ज 2/3 हिस्सा के बजाय वादी को 4/15 हिस्से का व प्रतिवादी नम्बर 1 ता 6 को 2/5 हिस्से का बहिस्सा बराबर व भूमि खसरा नम्बर 1748, 1749, 1794 कुल किता–3 कुल रकबा 0.08 हैक्टर राजस्व ग्राम लोला की ढाणी पटवार हल्का थोई वादी व नाथू, रूडा पुत्रगण गंगल्या के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा के बजाय वादी को 1/5 हिस्से का व प्रतिवादी नम्बर 1 ता 6 को 3/10 हिस्से का बहिस्सा बराबर व भूमि खसरा नम्बर 1380 रकबा 0.02 हैक्टर राजस्व ग्राम लोला की ढाणी वादी व मृत्तक नाथू, रूडा, पुत्रगण गंगल्या के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा के बजाय वादी को 2/15 हिस्से का व प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 6 को 3/15 हिस्से का बहिस्सा बराबर काबिज खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर इसमें दर्ज मृत्तक नाथू, रूडा पुत्रगण गंगल्या का नाम राजस्व रिकार्ड से पृथक फरमाया जाने तथा जिस पक्षकारान का पूर्व का रहन है उस पक्षकार के हिस्से में आयी भूमियों पर रहन दर्ज फरमाते हुये राजस्व रिकार्ड में इसी अनुसार अमल दरामद किए जाने के आदेश दिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:03:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

जाते है। वादी व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक–दुसरे के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करें एंव ना ही दीगर से करावे। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने हेतु भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 16.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:03:07 IST
Reason: SelfAttested